

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	----------------------------------	---

16-8-19 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार करने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
27-9-19

27/9/19 उभय पक्ष उपस्थित पीठवासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अदालत पर है / पत्रावली
अतः पत्रावली दिनांक 24/9/19 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी बाण्डल

31-10-19 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
8-11-19

8-11-19 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
14-11-19

14-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील
प्रार्थी ने अदालत रिपोर्ट पर बहस करनी चाही, बहस
शुनी गई। वास्ते पत्रावली में आदेश हेतु नियत
दिनांक 28-11-19 को पेश हो।

28-11-19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार
उपस्थित, वकील प्रार्थी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र
में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र
स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की जब कि पैरोकार
सरकार ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने
की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अक्लौफन किया तथा उभयपक्षों
की बहस पर मजबूत किया, विवादित आग्रहियात

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तहसील माण्डल के खाता संख्या 202 में शाराजी
नं. 334 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि के राजस्व
रैकॉर्ड में प्रार्थी का 1/2 एक हिस्सा अंकित कराना
चाहता है। परन्तु संवत् 2059 से 2062 की जमावेदी
में शाराजी नं. 334 में से लाटू पिता नाबू का हिस्सा
प्रार्थी ने इय किय जिसमें आमन्तरण सं. 45/दिनांक
06-10-2003 में कही भी इसका हिस्सा स्पष्ट रूप
से अंकित नहीं होना पाया जाता है। शसिलिट प्राप्ता
श्वरीज योग्य है।

∴ आदेश ∴

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन के
आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध
कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र श्वरीज किया जाता है।

पगावली फैसल शुमार की जाकर अन्तर से कम हो।

28/11/19

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा